प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक

प्रायोजक : पंजाब नेशनल बैंक

हेड ऑफिस : प्रथमा भवन, राम गंगा विहार फेज–2, कांठ रोड, मुरादाबाद–244001, उ.प्र.

क्षेत्रीय कार्यालयः रामपुर
शाखाः रामपुर मेन

सार्वजनिक नीलामी द्वारा सम्पत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नगठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियमानुसार) (नियम 8 (6) के तहत)

यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) एवं सहपठित नियमों के अंतर्गत ऋणकर्ता एवं सनुबन्धियों को उनके सम्मुख अंकित तिथियों को नोटिस जारी कर उनसे 60 दिनों के अंदर मांग सूचना पत्र में वर्णित धनराशि अदा करने की मांग की थी। ऋणी/सहअनुबन्धियों/बंधककर्ताओं द्वारा उपरोक्त समय अवधि में उक्त धनराशि जमा नहीं करने के कारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) एवं सहपठित नियम (8) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न वर्णित खातों में उनके सम्मुख अकिंत तिथियों में बंधक सम्पतियों का सांकेतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया। इस पर भी ऋणी/ सहअनुबनिधयों/ बंधककर्ताओं द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं करने के कारण बैंक में बंधक अचल सम्पति को नीचे दिये गये विवरण के अनुसार नीलामी द्वारा विक्रय किया जाएगा। अतः इच्छुक व्यक्ति नीलामी में सम्मलित होने हेतु आमन्त्रित हैं।

क्र. सं.	ऋणी/ सहअनुबंधियों का विवरण	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि / मांग सूचना की देय राशि/ कब्जे की तिथि व स्थिति	न्यूनतम आरक्षित मूल्य/धरोहर राशि/धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि व समय नीलामी का स्थान
1.	**ऋणी :** कृष्ण कुमार सिंह पुत्र श्री श्याम सुन्दर, निवासी मोहल्ला इंद्रप्रस्थ कालोनी, ज्वालानगर, तहसील सदर, जिला रामपुर। **सहअनुबंधी :** 1. श्री हरि सिंह पुत्र श्री राम कुमार, निवासी मोहल्ला इंद्रप्रस्थ कालोनी, ज्वालानगर, तहसील सदर, रामपुर, 2. श्री दुर्गा पुत्र श्री तुलाराम, निवासी मोहल्ला इंद्रप्रस्थ कालोनी, ज्वालानगर, तहसील सदर, रामपुर।	एक रिहायशी मकान जिसका कुल क्षेत्रफल 54.76 व0मी0 है स्थित है ग्राम अजीतपुर, तहसील सदर, जिला रामपुर, जो कि रजिस्टर्ड है क्र.सं. 3115, दिनांक 16.06.1996 सबरजिस्ट्रार कार्यालय, तहसील सदर, जिला रामपुर में कृष्ण कुमार सिंह पुत्र श्री श्याम सुन्दर, निवासी मोहल्ला इंद्रप्रस्थ कालोनी, ज्वालानगर, तहसील सदर, रामपुर के नाम पंजीकृत है। **सम्पत्ति की चतुरसीमाएँ (सेलडीड के अनुसार): पूर्वः** लाल प्रसाद का मकान, **पश्चिमः** रास्ता 12 फिट चौड़ा, **उत्तरः** चन्द्रपाल का प्लॉट, **दक्षिणः** कृष्ण कुमार का प्लॉट। **सम्पत्ति की चतुरसीमाएँ (वर्तमान में): पूर्वः** अन्य का मकान, **पश्चिमः** रास्ता 12 फिट चौड़ा, **उत्तरः** अमेन्द्र सिह का मकान, **दक्षिणः** मुनेश का मकान।	24.01.2025 **रु. 2,09,077.50 दिनाँक 24–01–2025 तक तत्पश्चात जमा धनराशि को समायोजित करते हुए यदि कोई है** 25–03–2025 /सांकेतिक	**रु. 8,21,000/–** **रु. 82,100/–** **दिनाँक 06.05.2025 नीलामी से 1 दिन पूर्व सायं 4 बजे तक**	दिनांक 07.05.2025 प्रातः 11.00 बजे से दोप. 12.00 बजे तक शाखा परिषर रामपुर मैन, प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक, रामपुर।

सम्पत्ति का पूरा विवरण/अन्य जानकारी संबंधित शाखा के पास से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है। **नीलामी की नियम एवं शर्तेः**– 1. नीलामी के समय, बोलीदाता को ईएमडी के लिए ड्राफ्ट/पे–ऑर्डर/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत जमा करना होगा, जो प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक के पक्ष में देय हो, बोली से पूर्व जमा करना होगा। 2. बोलीदाता को अपना परिचय पत्र/आधार कार्ड/ पैन कार्ड साथ लाना होगा। 3. जैसे ही सफल बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाती है उसे उसी दिन नीलामी बोली का 25% (धरोहर राशि समायोजित करते हुए) जमा करना होगा तथा शेष रकम 15 दिनों में अंदर जमा करना होगा अन्यथा पूर्व में जमा की गयी रकम को जब्त कर लिया जाएगा। 4. उपरोक्त सम्पत्तियों को **''जैसा है जहां है, जो भी है''** के आधार पर विक्रय किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने के अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 5. असफल बोलीदाताओं का ड्राफ्ट/पे–ऑर्डर/आरटीजीएस/एनईएफटी सम्पति की नीलामी के बाद उसी दिन बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। 6. हस्तांतरण से संबंधित व्यय जैसे स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्कों आदि और अन्य सभी विधायी व्यय सफल बोलीदाताओं द्वारा वहन किए जाएंगे। 7. सम्पत्ति पर सभी सरकारी कर और बकाये की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। 8. अन्य जानकारी के लिए, किसी भी कार्य दिवस पर प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक की सम्बन्धित शाखा से सम्पर्क करें। 9. नीलामी आरक्षित मूल्य से शुरू होगी और बोलीदाताओं को पांच हजार (5,000) के गुणांकों में अपनी बोली में सुधार करना होगा। नीलामी समाप्त हो जाने पर सर्वोच्च बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। 10. यदि ऋणी नीलामी से पूर्व बैंक को सम्पूर्ण धनराशि एवं देय ब्याज अन्य व्यय सहित भुगतान कर देता है तो उपरोक्त खाते में बंधक सम्पति की नीलामी को रद्द कर दिया जाएगा। 11. यह सूचना ऋणी, सहअनुबंधी एवं बंधककर्ताओं को 30 दिनों की सूचना के रूप में पढ़ा जाए।

दिनांकः 04.04.2025 स्थान : रामपुर प्राधिकृत अधिकारी, प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक